न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–05/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2018/00011

उनवान

1. गिर्राजी उम्र 80 साल पत्नि रामभरोसी जाति जाटव निवासी रूदावल, तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हेमन्त उम्र 10 साल पुत्र शीलप्रकाश
2. यशवन्त उम्र 8 साल पुत्र शीलप्रकाश
3. सपना उम्र 14 साल पुत्री शीलप्रकाश
4. अर्पिता उम्र 7 साल पुत्री शीलप्रकाश

} नाबालिगान व विलायत जरिये सुनहरा माता स्वयं जाति जाटव नि0 ग्राम रूदावल तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 23.10.2017 उनवानी हेमन्त बनाम गिर्राजी प्र0स0 31/17

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हरीदत्त शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महेन्द्र सिंह अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–26.11.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 03 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर, प्रार्थी/रैस्पो0 के बाबा श्री रामभरोसी की आराजी थी परन्तु

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अप्रार्थी/अपीलाण्ट जो प्रार्थी/रैस्पो0 की दादी है, ने उक्त आराजी का दाखिल खारिज अपने नाम करा लिया। जबकि उसमें प्रार्थी/रैस्पो0 के पिता का निस्फ हिस्सा था। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजी को रहन वय गुन्तकिल करने पर आमदा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये, अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ बाबत् कोई विवेचन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मात्र चार लाईन का है, जो नोन स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में आता है। रैस्पो0 विवादित आराजी को अपने बाबा की आराजी बताते हुये, दावा करते हैं। परन्तु उनके द्वारा अपने पिता की बहन लज्जावती, गुड्डी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। इसलिये रैस्पो0 का दावा मैन्टेबिल ही नहीं है। इसके अलावा रैस्पो0 का विवादित आराजी में कोई हिस्सा ही नहीं बनता है क्योकि रैस्पो0 के पिता शीलप्रकाश व रैस्पो0 की बुआ लज्जावती व गुड्डी द्वारा अपने हिस्से की रिलीजडीड दिनांक 19.05.2006 को अपीलाण्ट के नाम कर दी है और उसी आधार पर दाखिल खारिज खोला गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्षा में रहती हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में उक्त तथ्यों का कोई विश्लेषण ही नहीं किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2007 पेज 695 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हगने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं पर कोई विवेचना नहीं की गयी है, कि कैसे रैस्पो0/प्रार्थी अपने पक्ष में उक्त तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है। स्पष्टतः अपीलाधीन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आदेश में किसी प्रकार की विवेचना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय नॉन–स्पीकिंग होने से अपास्त होने तथा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ नयायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति के बिन्दु को रिकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर तय किये जाकर पुनः विधिसम्मत एंव बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 23.10.2017 अपास्त करते हुये पुनः अधिकतम एक माह में विधिसम्मत एंव बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है तब तक विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु अधीनस्थ न्यायालय का अन्तरिम एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 02.05.2017 यथावत रहेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर